5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

123

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प (उज्जैन म०प्र०)

R 964-PBR-17 निगरानी प्र0क्र0 /2017–18

1– हीरालाल पिता मांगीलालजी चमार आयु 52 वर्ष

निवासी काचरिया चन्द्रावत तह0 मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर म0प्र0

2– शांतिलाल उर्फ बाबूलाल पिता भंवरलाल पोरवाल आयु 58 वर्ष

निवासी पिपल्यामण्डी तहसील मल्हारगढ़

जिला मन्दसौर म0प्र0 — निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण

विरूद्ध

शंकरलाल पिता काशीराम चमार आयु – 30 वर्ष

निवासी – काचरिया चन्द्रावत तह0 मल्हारगढ़ — अनावेदक/प्रतिप्रार्थी

28-3-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

28/3/17

निगरानी बनाराजगी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर द्वारा प्र0क0 7/अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10–2–2017 के विरूद्ध

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी सविनय निम्नानुसार प्रस्तुत है कि :–

1– यह कि **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–** प्रतिप्रार्थी शंकरलाल ने धारा 131, 132, 134, म.प्र.भू.स. के अंतर्गत एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोजा काचरिया चन्द्रावत से ग्राम लूनाहेडा जाने वाले आम रास्ते से होकर प्रतिप्रार्थी के नाम की भूमि (इस निगरानी का प्रार्थी कमांक 1) के नाम की सर्वे कमांक 515 एंव प्रतिप्रार्थी कमांक 2(इस निगरानी का प्रार्थी कमांक 2) के नाम के सर्वे कमांक 517 की भूमि जो रास्ते से लगत होकर आगे दक्षिण मे भी सर्वे नंबर 515 व 517 की दरम्यानी मेढ से होकर आगे सर्वे नंबर 516 पर पहुंचता है, शंकरलाल ने अपने आवेदन में यह भी बताता कि वादग्रस्त रास्ते को ट्रेक्टर से फाड़ दिया है व मेढ़ के स्थान को दर्शाने के लिये पत्थर लगा दिये है इसलिये रूढिगत मार्ग अवरूद्ध हो जाने से चालू कराया जावे। शकरलाल ने मूल आवेदन के साथ धारा 32 म0प्र0भू0रा0संहिता के तहत अंतरिम आदेश प्राप्त करने का आवेदन भी दिया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-964-पीबीआर/17 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	